



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092026-276500
CG-DL-E-25092026-276500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5096]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948

No. 5096]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2026

का.आ. 5303(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) की धारा 73 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी पत्तन को मेगा पत्तन के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी मानदंड अधिसूचित किए हैं; और जबकि, दीनदयाल (कांडला), जवाहरलाल नेहरू (नहावा शेवा), पारादीप महापत्तन और मुंद्रा पत्तन उक्त मानदंडों को पूरा करते हैं।

2. अतः अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दीनदयाल (कांडला), जवाहरलाल नेहरू (नहावा शेवा), पारादीप महापत्तनों और मुंद्रा पत्तन को मेगा पत्तन के रूप में अधिसूचित करती है।

3. यह राजपत्र में इसकी प्रकाशन की तारीख को लागू होगा।

[फा. सं. पीडी-24015/1/2026-पीडी-1/ई-378702]

प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2026

S.O. 5303(E).— Whereas, the Central Government, under sub-section (1) of section 73 of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025), notified the criteria for classification of a port as mega port; and whereas, the major ports of Deendayal (Kandla), Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva), Paradip, and Mundra Port, a port other than the major ports, satisfy the said criteria.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 73 of the said Act, the Central Government hereby notifies the major ports of Deendayal (Kandla), Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva), Paradip, and Mundra Port as mega ports.

3. It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

[F.No. PD-24015/1/2026-PD-I/E-378702]

PRAVEEN P. NAIR, Jt. Secy.